न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत कैम्प पावा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 193 / 2015
दायर तिथि— 12.06.2015
तारीख फैसला— 04.06.2018

वादीः—
1— गुमानसिंह पुत्र वीरसिंहजी जाति राजपूत आयु 60 वर्ष
निवासी पादरली तहसील आहोर जिला जालोर(राज.)।

ब ना म

प्रतिवादीगणः—
1— भगवानसिंह पुत्र आईदानसिंह उर्फ आदाजी
आयु बालिग जाति राजपूत निवासी पादरली तहसील आहोर जिला जालोर(राज.)।
2—राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

—:निर्णयः—

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः—

(1) वादीगण द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा खेजडिया पटवार क्षैत्र पावा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 36 रकबा 4.32 हैक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय आई हुई स्थित है। विवादग्रस्त कृषि भूमि वादी के परदादा सुजानसिंह उर्फ सुजा के द्वारा अर्जीत थी जो सुजानसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादी के दादा श्री आईदानसिंह उर्फ आदा के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी।

(2) ग्राम खेजडिया के गत खसरा नं. 14 रकबा 27 बीघा 9 बीस्वा भूमि जमाबंदी सवंत् 2018 से 2021 के खाता सं. 35 के अनुसार आदा पुत्र सुजा जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार द्वारा दिनांक 7.02.1973 को बक्शीश करने से ना.स. 27 दिनांक 27.04.1973 के जरीए भगवान पुत्र आदा जाति राजपूत के नाम दायर किया गया था जिससे भगवान वर्ष 2009 तक एकल खातेदार दर्ज रहा है। दिनांक 24.08.2009 को भगवान द्वारा गत खसरा नं0 14 के हाल खसरा नं. 36 रकबा 4.32 हैक्टर का बैचान कर देने से ना.स. 184 से खरीददार लीला कंवर पत्नी सुजानसिह, सरीया कंवर पत्नी उम्मेदसिंह, फुलीकंवर पत्नी हंससिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज किए गए हैं। तब से आज तक खरीददारों का कब्जा काश्त है जिसमें प्रार्थी 1/2 भूमि की मांग कर रहा है।

(3) वादी गुमानसिंह आदा का पोता है। आदा ने अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत भूमि बख्शीश करदी तथा बख्शीश ग्रहीता ने आगे प्रश्नगत भूमि बेचान करदी। मौके पर केतागण का कब्जा काश्त है। नामांतरण व जमाबंदी में केता के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः प्रश्नगत भूमि पर वादी का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **04.06.2018** को राजस्व लोक अदालत पावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner